

न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), एफ 0 टी0 सी0 (महिलाओं के विरुद्ध अपराध), सहारनपुर।

CNR-NO-UPSP040447522026

सरकार

बनाम

प्रवेज आदि।

मु.अ. सं0-58/2025

धारा-85,115(2) भारतीय न्याय संहिता,2023

व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961 व धारा-3/4 मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम,2019

थाना-महिला थाना, जिला सहारनपुर।

01.06.2026

आज दिनांक-01.06.2026 को अभियुक्ता **गुलशाना** द्वारा मु.अ.स 0-58/2025 अंतर्गत धारा-85,115(2) भारतीय न्याय संहिता,2023 व धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961 थाना महिला थाना, जिला सहारनपुर के अपराध में विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्ता आज आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। कोर्ट मोहर्रिर सूचित हो।

अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रा0 पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थिया को उक्त वाद में झूठा गलत अभियुक्त बनया गया है, जबकि प्रार्थिया ने कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं किया है। प्रार्थिया उक्त वाद की पीडिता की सास है। प्रार्थिया अपनी जमानत के लिए मोतवीर जामिनान पेश करने को तैयार है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत का घोर विरोध किया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्ता के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। प्रश्रगत मामला वैवाहिक सम्बन्धों में उत्पन्न दहेज प्रताड़ना आदि से सम्बन्धित है। दहेज प्रताड़ना आदि के मामलों में सुलह-समझौते की संभावना सदैव विद्यमान रहती है। प्रस्तुत मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष के कम कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत के आधार पर्याप्त हैं।

आदेश

अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्ता **गुलशाना** द्वारा मु0 25 हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि का एक प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

(प्रज्ञवल अग्रवाल)

सिविल जज (जू0 डि0), एफ 0 टी0 सी0,

(महिलाओं के विरुद्ध अपराध),

सहारनपुर।

J.O Code-UP4625